

पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 362/1-12 दिनांक 04-09-2020 द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 07-09-2020 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 21700-69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 के कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू० 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री पंकज कुमार सेनी	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	मु०व०सं० गढ़वाल पौड़ी
2	श्रीमती मयूरी गोतम	प्र०व० हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार	प्र०व० हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार
3	श्री प्रदीप सिंह	प्र०व० गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	मु०व०सं० गढ़वाल पौड़ी
4	श्री लखन सिंह	मु०व०सं०, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून	मु०व०सं०, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून
5	श्री धीरेन्द्र सिंह रावत	प्र०व० गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	वन संरक्षक, गढ़वाल पौड़ी
6	श्री कमल पंत	वन वर्धनिक साल क्षेत्र, हल्द्वानी	प्र०व० तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर
7	श्रीमती कमलेश पालीवाल	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून
8	श्री संजय कुमार	प्र०व० नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती
9	कुमारी रजनी जखन्याल	अ०प्र०व०सं० भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून	अ०प्र०व०सं० भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून
10	श्री प्रदीप भट्ट	प्र०व०चकराता वन प्रभाग चकराता/कालसी	चकराता वन प्रभाग चकराता/कालसी
11	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	प्र०व० तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	प्र०व० तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी
12	श्री धनराज सिंह रौतेला	प्र०व०अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
13	श्री भीम सिंह	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी
14	श्री मनोज पाण्डे (प्रथम)	प्र०व० अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	प्र०व० पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़
15	श्री मनोज पाण्डे	प्र०व० सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	प्र०व० सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा
16	श्री प्रकाश सिंह मेहरा	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
17	श्री मुकेश चन्द्र तिवारी	प्र०व० सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	प्र०व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
18	श्री राहुल पटेल	प्र०व० सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी	प्र०व० सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी
19	श्री संजय जोशी	प्र०व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	प्र०व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

20	श्रीमती सरोजनी जोषाल	प्र००० टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	प्र००० टिहरी हेम वन प्रभाग प्रथम नई टिहरी
21	श्रीमती शान्ता देवी	प्र००० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तराकाशी	प्र००० उत्तराकाशी वन प्रभाग उत्तराकाशी
22	श्रीमती सुमित्रा शर्मा	प्र००० नरेश्वरनगर वन प्रभाग मुनिजीरती	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून

1. पदोन्नति कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड शासन वित्त (शे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भी अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. शासनादेश सं० 206/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी०सी० दिनांक 31-08-2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 19(2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 30-06-2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिन कार्मिकों ने अपने सेवाकाल के आधे भाग की सेवा दुर्गम स्थान पर नहीं की गयी है तथा अधिनियम की धारा-7 खण्ड 'घ' से आवेदनित नहीं है और उन्हें सुगम स्थान में तैनाती दे दी गयी उनकी पदोन्नति तभी स्वीकार की जाय जब वह इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार दुर्गम स्थल की सेवा पूर्ण करने हेतु उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति उपरान्त तैनाती दुर्गम स्थल में होने पर वह कोई अपत्ति नहीं करेंगे।

3. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

5. कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

6. स्थानान्तरण की स्थिति में जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है उनके नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

(मनोज चन्दन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

08

1-12

वनादेश सं०

(1)/

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
3. संबंधित मुख्य क्रोमाधिकारी/क्रोमाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. आई०टी० सेवा को डिमांडीय वेबसाइट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

I.T.C.C

9/11/20

(मनोज चन्दन)

मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून।